BCCI BULLETIN

Vol. 52 | MAY - JUNE 2021 | No. 4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के आधार स्तम्भ रहे पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह का आकस्मिक निधन

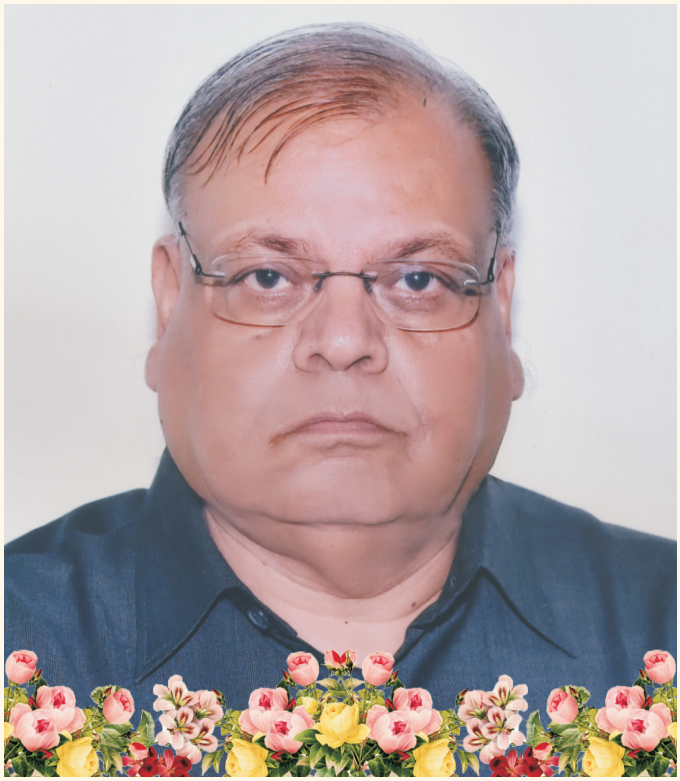

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह का आकस्मिक निधन दिनांक 04 मई 2021 को हो गया। चैम्बर एवं उद्योग-व्यापार जगत को सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ओ. पी. साह जी अब हमारे बीच नहीं हैं।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि स्व. ओ. पी. साह के आकस्मिक निधन से मैंने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उद्योग और व्यापार जगत में स्व. साह के निधन से जो रिक्तता आई है, उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। चैम्बर की ओर से दिनांक 06 मई 2021 को जूम एप पर स्व. साह को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक शोक सभा आयोजित की गयी थी। जिसमें काफी सदस्यों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये। सबों ने स्व. साह को चैम्बर का एक सुदृढ़ आधार स्तम्भ बताया और कहा कि उनके कार्यकाल में चैम्बर ने कई कीर्तिमान स्थापित किये और एक नई ऊंचाई प्राप्त किया।

स्व. ओ. पी. साह ने 27 सितम्बर 2002 से 29 दिसंबर 2004, 29 दिसंबर 2006 से 24 दिसंबर 2008, 28 दिसंबर 2010 से 29 दिसंबर 2012 एवं 29 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2016 तक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसके पूर्व 1989-90 एवं 1990-91 में कोषाध्यक्ष तथा 1993-94 एवं 1994-95 में उपाध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण कर चुके थे।

स्व. साह का जन्म 1952 में पटना सिटी के एक सम्मानित और प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज वर्ष 1865 में राजस्थान से बिहार आ गए थे। उनके परदादा राय बहादुर जयराम दास साह बिहार के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। पटना में उनके सम्मान में एक सड़क का नामकरण किया हुआ है।

श्री बिहारी जी मिल्स लि० साह परिवार की मूल फर्म है जिसे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सबसे पुराने सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

वाणिज्य स्नातक स्व. ओ. पी. साह में नेतृत्व के असाधारण गुण और तीव्र व्यवसायिक कुशाग्रता थी। स्व. साह सर्वसम्मति में विश्वास रखते थे। वे दूरदर्शी, शांत प्रकृति एवं अविलम्ब दृढ़ निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। वे कई उद्योगों, वितरण कंपनियों तथा कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

चैम्बर के सदस्यों एवं अन्य लोगों के लिए उनकी समस्याओं के निदान हेतु सहज पहुँच, सरकार के साथ व्यापार एवं उद्योग के मुद्दों को उठाने में तत्परता के अतिरिक्त स्व. साह में कई विशेषताएँ थी जिसने उन्हें व्यापार एवं उद्योग का हिमायती बना दिया था।

अपनी अध्यक्षता के प्रत्येक कार्यकाल में स्व. साह ने बिहार के कोने-कोने का भ्रमण किया और उन क्षेत्रों के आर्थिक मुद्दों एवं समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया जिससे उनके ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता में काफी वृद्धि हुई।

स्व. साह बिहार सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के एक प्रतिनिधि के रूप में, जिसका नेतृत्व श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, ने जुलाई, 2007 में मॉरीशस का दौरा किया। उक्त प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर गहन चर्चा की। उनके विश्वव्यापी दौरे में फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम (नीदरलैंड), सुदूर पूर्व एशिया में थाईलैंड और दक्षिण एशिया में श्रीलंका का दौरा शामिल है।

स्व. ओ. पी. साह, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे, जिन्होंने जून, 2011 में चीन की 6 दिवसीय यात्रा की थी। यह एक ऐतिहासिक और बहुत सफल यात्रा की थी। छह दिवसीय दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने शंघाई और राजधानी बीजिंग के अलावा शेडोंग, जिनान, व्हिफिंग, किंगदाओ आदि जैसे औद्योगिक और व्यापारिक राज्यों का यात्रा किया और चीन के विकास मॉडल, उद्योग, कृषि, व्यापार, शहरीकरण, अनुसंधान एवं विकास को देखने का सुअवसर मिला एवं सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें भी की।

एक उत्साही आधुनिकतावादी और तकनीक-प्रेमी स्व. ओ. पी. साह ने अपने कार्यकाल में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पारंपरिक शैली के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ सबसे आधुनिक और सुसज्जित कार्यालय में परिवर्तित कर दिया ।

उनकी अध्यक्षता के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियों / गतिविधियों में चैम्बर पर डाक टिकट जारी करना शामिल है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, बिहार ने 28 अक्टूबर, 2002 को केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चैम्बर परिसर में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में चैम्बर पर डाक टिकट का अनावरण किया।

31 मई, 2003 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. ए. पी.

शेष पृष्ठ 3 पर...

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बड़े ही दुःख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि चैम्बर के आधार स्तम्भ रहे पूर्व अध्यक्ष ओ0 पी0 साह जी का असामयिक निधन दिनांक 4 मई, 2021 को हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे। ओ0 पी0 साह जी के निधन से मैने अपना सच्चा और हितैशी मित्र खो दिया। उनके असामयिक निधन से उद्योग एवं व्यापार जगत में जो रिक्तता आयी है, उसकी भरपायी निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। उनके कार्यकाल में चैम्बर के हित में किये गये कार्य एवं उपलब्धियाँ चैम्बर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी और ओ0 पी0 साह जी हमारे दिलों में बने रहेंगे।

विगत् दिनों कोरोना की दूसरी लहर आने और दुबारा लॉक डाउन से उद्योग एवं व्यापार जगत जो पिछली लॉक डाउन के चलते उभर भी नहीं पाया था, दुबारा उसकी चपेट में आ गया। उद्योग एवं व्यापार की गति फिर से चरमरा गयी। धीरे–धीरे स्थिति कुछ सुधर रही हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार चैम्बर ने अपने कार्यालय का समय और कर्मचारी की संख्या सीमित कर, अपने सदस्यों की कठिनाईयों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए अनुपालनार्थ नियमों में जो कमियाँ आ रही थी, उसे केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के समक्ष स्पष्ट एवं दृढ़ता के साथ उठाता रहा। हमें खुशी है कि चैम्बर द्वारा दिये गये सुझावों पर केन्द्र और राज्य सरकार ने कुछ सुधार एवं सहुलियतें भी प्रदान की।

चैम्बर ने बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारि शरण, वित विभाग के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य के अधिकतर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यावसायी बैंकों से ऋण लेकर अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन सुचारू रूप से व्यवसाय के नहीं चलने से बैंकों का ब्याज एवं किश्तों का भुगतान नहीं कर पाये हैं। ऐसे में व्यवसायियों पर बैंकों द्वारा भुगतान हेतु दबाव दिया जा रहा है। इससे व्यवसायी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से जूझ रहें हैं। **ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें समुचित राहत प्रदान की जानी चाहिए।**

एक जुलाई से टीडीएस एवं टीसीएस के प्रावधानों में बदलाव होनेवाला है। फाइनेंस ऐक्ट 2021 के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर ने पिछले दो साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो उसे ज्यादा टीडीएस देना होगा।

जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं को जीएसटी से पूर्णरूपेण छूट एवं कोरोना के इलाज से जुड़े वस्तुओं के कर दरों में जो कमी की है वह स्वागत योग्य है।

इस सम्बन्ध में चैम्बर ने सरकार से आग्रह किया है कि चूँकि जून का महीना चल रहा है और करों में छूट की समय सीमा 30 सितम्बर, 2021 तक ही दी गयी है, अतः करों में छूट की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या पर्या0/वन (मु0)/09–2019–406 (ई0)/प0व0 दिनांक 16 जून, 2021 के तहत गजट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के बाद एकल उपयोग वाले त्याज्य (Disposable) प्लास्टिक जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप जिसका उपयोग भोजन पदार्थ या जल परोसने में किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट आदि के विनिमार्ण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। इस अधिसूचना की प्रति सबों को भेज दी गयी है ।

कोरोना से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए माननीय केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं माननीय केन्द्रीय वित राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा उद्योग–धंधों को बढ़ावा देने के लिए की गयी घोषणा स्वागत योग्य है। चैम्बर ने कहा है कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए 1.1 लाख करोड़ रूपये की ऋण गारंटी योजना व आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत डेढ़ लाख करोड़ रूपये की अतिरिक्त घोषणा से छोटे–छोटे व्यावसायियों को कोरोना महामारी से उबरने में राहत मिलेगी।

चैम्बर ने माननीय केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन से आयकर के अंतर्गत फिनान्स ऐक्ट 2015 के तहत बिहार के 21 पिछड़े जिलों के उद्योगों को मिल रहे प्रोत्साहन को पाँच साल के लिए और बढ़ाने की मांग, पत्र लिखकर की है। प्रोत्साहन की अवधि 31 मार्च, 2020 को ही समाप्त हो चुकी है। चैम्बर ने माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है वे अपने स्तर पर भी भारत सरकार से अनुरोध करें ताकि उद्योगों को मिल रही इस सुविधा का विस्तार हो सके एवं चैम्बर के प्रयास को बल मिल सके।

आयकर विभाग के नये पोर्टल के लिए वित मंत्रालय, CBDT द्वारा मांगी गयी समस्याओं और कठिनाईयों के आलोक में चैम्बर ने 21 बिन्दुओं पर वित मंत्रालय को सुझाव समर्पित किया है और नये पोर्टल पर आ रही समस्याओं की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया है और अनुरोध किया है कि समय रहते पोर्टल की कमियों को दूर किया जाये अन्यथा भविष्य में परेशानी और बढ़ सकती है।

बिजली की दरों में असमानता का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के औद्योगिकीकरण पर भी पड़ रहा है क्योंकि नये निवेशक उसी राज्य में निवेश करना बेहतर समझते हैं जहाँ बिजली की दरें कम होती हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की दरें एक समान नहीं होने से व्यवसायियों के साथ–साथ आम उपभोक्ता भी प्रभावित हो रहे हैं। **अतः चैम्बर ने माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय वित मंत्री और केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री से अनुरोध किया है कि देश में ''एक राष्ट्र एक विद्युत दर'' की नीति को लागू कराया जाय।**

माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने जब से उद्योग विभाग की कमान संभाली है तब से वे बिहार के औद्योगिकी–करण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। निवेशक बिहार आयें, उसके लिए जरूरी प्रयास कर रहे हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को 6199 करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4616 करोड़ रूपये के अर्थात् 74 प्रतिशत निवेश फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हैं। उसमें भी 3071 करोड़ यानि 67 प्रतिशत प्रस्ताव इथेनॉल उत्पादन से जुड़े हैं।

इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला बिहार प्रदेश का पहला राज्य बना है। इथेनॉल इण्डस्ट्रीज से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसान भी लाभांन्वित होंगे। मेगा फुड पार्क के बाद बिहार को पाँच मिनी फुड पार्क भी मिलने की पूरी उम्मीद है।

माननीय उद्योग मंत्री, बिहार के अनुसार चनपटिया स्टार्टअप जोन रेडिमेड वस्त्र, फर्निचर एवं चर्म उद्योग का केन्द्र बनेगा। उद्योग मंत्री जी ने जो भी घोषणएँ की है, वे सभी यदि मूर्त्तरूप ले लें तो बिहार की गिनती अग्रणी राज्यों में होगी।

विगत दिनों चैम्बर ने लॉक डाउन की स्थिति में भोजन पैकेट सूखा राशन, सेनेटाइजर, मास्क, पानी का वितरण जरूरतमंदों के बीच

किया। इसके अतिरिक्त चैम्बर द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन सिलींडर भी उपलब्ध कराया है और यह सेवा जारी है।

जिलाधिकारी पटना द्वारा टीकाकरण टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें चैम्बर को भी सदस्य नामित किया गया है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से चैम्बर प्रांगण में भी टीकाकरण कैम्प आयोजित किया गया।

मैं राज्य के उन उद्यमी एवं व्यापारी संघों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कोरोना काल में पीड़ित मानवता की रक्षा हेतु जरूरतमंदों को फूड पैकेट, सेनेटाइजर, मास्क के अतिरिक्त ऑक्सीजन बैंक बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्त्ति की। भविष्य में भी उनसे ऐसी ही अपेक्षा है।

बन्धुओं, कोरोना संक्रमण अभी कम अवश्य हुआ है परन्तु पूर्णरूपेण खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना के गाइड लाइन का पालन अवश्य करें। मास्क बराबर लगायें, दो गज की दूरी बनाये रखें। टीकाकरण अगर अभी तक नहीं कराये हों तो सपरिवार अवश्य टीका लगवायें। जान है तो जहान है।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

पृष्ठ 1 का शेष...

जे. अब्दुल कलाम ने चैम्बर के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में कृपापूर्वक पधारकर व्यवसायी समुदाय को आशीर्वचन प्रदान किया। जिसमें उन्होंने राज्य के व्यापारी समुदाय को सुनहरा संदेश दिया – **"भविष्य के लिए डरो नहीं.... आइए इसका सृजन करें"**। बाद में यह संदेश न केवल व्यापारी समुदाय के लिए बल्कि राज्य के लिए भी आदर्श वाक्य बन गया।

उद्यमिता विकास सभागार वर्ष 2004 में पूरी तरह से पुनर्निर्मित और सभी सुविधाओं से लैस एक आधुनिक वातानुकूलित सभागार में परिवर्तित हो गया।

स्व. ओ. पी. साह के नेतृत्व में चैम्बर द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम (एपीएमसी) को समाप्त कर दिया। सरकार को एपीएमसी अधिनियम के तीखे उल्लंघन के रूप में इस तरह के साहसिक और यथार्थवादी निर्णय लेने के लिए सराहा गया, जिसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए था। एपीएमसी अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों ने कभी भी अपने संविधान के उद्देश्यों के अनुसार प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की थी। बल्कि, इन बाजार समितियों के पदाधिकारियों के लिए उत्पीड़न का एक हथकंडा बन गया था, जो हितधारकों को परेशान करने के लिए हर तरह की मजबूत रणनीति अपना रहे थे। यद्यपि इन समितियों के अधिकारी बड़ी मात्रा में राशि एकत्र कर रहे थे, वे हितधारकों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इतने बड़े संग्रह का निवेश करने में पूरी तरह विफल रहे थे। इस तरह के एक महत्वपूर्ण और न्यायसंगत निर्णय से राज्य के उत्पादकों, कृषि आधारित उद्यमियों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं में खुशी और आशा का संचार हुआ।

बिहार में वर्ष 2008 में आई विनाशकारी बाढ़ जिसने उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। बाढ़ ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया और उनकी आजीविका छीन ली। पहले की तरह, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्व. साह के नेतृत्व में इस राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया, जो लंबे समय तक जारी रहा।

चैम्बर ने 3 मई, 2011 को **"सामाजिक और आर्थिक रूप से विकासशील बिहार"** पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्घाटन भारत रत्न डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने किया ।

जुलाई, 2012 में चैम्बर द्वारा किए गए सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इससे पहले, इसकी राजपत्र अधिसूचना संख्या 293 दिनांक 31 मार्च 2012, वित्तीय वर्ष के अंत में अगले वित्तीय वर्ष के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने की सुविधा वापस ले ली गई थी और इसके बदले संबंधित डीलरों को वापसी का प्रावधान किया गया था जो आमतौर पर लिया जाता था। लगभग पूरा एक वर्ष की समयावधि चैम्बर ने स्व. साह के नेतृत्व में व्यापारियों की कई समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के समक्ष कई मुद्दों को उठाया। चैम्बर के प्रयासों से बिक्री कर विभाग द्वारा कई राहत के उपाय किये गए। छोटे व्यापारियों के लिए कंपाउंडिंग योजना की सीमा 50,000 रुपये तक, पंजीकरण की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये, राज्य के भीतर आवाजाही की सीमा (फॉर्म डी-VIII) को 75,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। कराधान विवाद अधिनियम में समय निपटान, पीसीसी पोल पर वैट में कमी आदि कुछ प्रमुख सुधार हैं। श्रम कानूनों के तहत 'ऑनलाइन' पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई और इसके निस्तारण के लिए 15 दिन का समय तय किया गया।

चैम्बर के साहू जैन हॉल को 2012 में पूरी तरह से नवीकरण, वातानुकूलित और आधुनिकीकरण किया गया। श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने 21.12.2012 को पुनर्निर्मित सभागार का उद्घाटन एवं चैम्बर की वेबसाइट का शुभारंभ किया।

श्री राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री ने 14 अप्रैल, 2015 को चैम्बर के कौशल विकास केंद्र में कंप्यूटर पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया एवं माननीय मंत्री ने प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्व. साह के प्रयास से चैम्बर परिसर के सामने वाहन पार्किंग की जगह और कचरा डंपिंग बाड़े के साथ एक नवनिर्मित हरी पट्टी, विकसित, सुसज्जित और सुशोभित किया। जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर, 2015 को **"स्वच्छ पटना... हरित पटना"** अभियान के तहत किया गया।

बीसीसीआई ने चैम्बर परिसर में अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जिनेवा, नामीबिया, सेनेगल और यूक्रेन में भारतीय राजदूतों / उच्चायुक्तों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार में विदेशी निवेश की संभावनाओं और राज्य में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुति के अलावा इसके संभावित तंत्र पर चर्चा की गई।

4 अगस्त, 2016 को माल और सेवा कर (जीएसटी) पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी, वित्त मंत्रलय, नई दिल्ली के अलावा भारत के प्रधान मंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉ. एम. गोविंदा राव ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, आईएएस, प्रधान सचिव सह वाणिज्य कर आयुक्त, श्री अरुण के. मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य कर विभाग आदि अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। चैम्बर के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ने जीएसटी के इस संगोष्ठी में भाग लिया।

स्व. साह के नेतृत्व में चैम्बर ने अपना 90वाँ स्थापना दिवस समारोह मनाया। जिसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने किया था।

वर्ष 2016 में चैम्बर ने स्व. साह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह आयोजित किया जिसमे तत्कालीन राज्यपाल, बिहार श्री रामनाथ कोविंद (वर्तमान राष्ट्रपति), मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव सहित कई जानीमानी हस्तियाँ शामिल हुई।

वर्ष 2016 के अंत तक स्व. साह के नेतृत्व में एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित हुई जिसमें चैम्बर की प्रमुख गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि सहित काफी उपयोगी सामग्रियाँ संकलित हैं।

यद्यपि स्व. ओ. पी. साह जी हमारे बीच नहीं रहे परन्तु उनके द्वारा कृत कार्य चैम्बर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे एवं उनकी स्मृति हमारे दिलों में अक्षुण्ण रहेगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जिलाधिकारी, पटना द्वारा गठित ''टीकाकरण टास्क फोर्स'' में सदस्य नामित

'टीकाकरण टास्क फोर्स' की बैठक में स्क्रीन पर जिलाधिकारी, पटना, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

जिलाधिकारी पटना की ओर से टीकाकरण में तेजी लाने के लिए ''टीकाकरण टास्क फोर्स'' का गठन किया गया, जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को भी सदस्य नामित किया गया है।

इसकी प्रथम बैठक दिनांक 19.06.2021 को हुई जिसमें चैम्बर की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए एक टीकाकरण केन्द्र चैम्बर प्रांगण में खोलने एवं इसके प्रचार-प्रसार के लिए बनने वाले डिजाइन में सुझाव देने को कहा जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वे अलग से व्यवसायियों की एक बैठक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में बहुत जल्द करेंगे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने लॉक डाउन अवधि में जरूरतमन्दों में बाँटे खाना, सूखा राशन, पानी, सेनेटाइजर एवं मास्क

चैम्बर के मुख्य द्वार पर चैम्बर द्वारा जरूरतमंदों के बीच सत्तू, चूड़ा, गुड़ एवं मास्क का वितरण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन से प्रभावित लोगों के बीच दिनांक 21 मई से 31 मई, 2021 तक प्रतिदिन पटना के विभिन्न स्थानों पर खाना के पैकेट (पूरी-सब्जी), सूखा राशन में सत्तू, चुड़ा, चावल, आटा, नमक, आलू, सरसो का तेल के अतिरिक्त सेनेटाइजर एवं मास्क वितरित किया।

चैम्बर द्वारा कोरोना वारियर्स यथा थाना, ट्राफिक पुलिस के जवानों के बीच भी सेनेटाइजर, पानी, मास्क एवं स्नेक्स आदि का वितरण किया जो लॉक डाउन को सफल बनाने में मुस्तैदी के साथ दिन-रात लगे हैं।

इस कार्य मे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के०

चैम्बर द्वारा कोरोना वारियर्स (थाना एवं ट्राफिक पुलिस के जवानों) को सेनेटाइजर, मास्क एवं पानी का वितरण।

चैम्बर द्वारा करबिगहिया साइड में सूखा राशन पैकेट कुलियों के बीच बितरण। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य श्री राकेश कुमार, श्री राकेश शर्मा एवं अन्य।

फुड पैकेट प्राप्त कुलियों के साथ चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य श्री राकेश कुमार, श्री राकेश शर्मा एवं अन्य।

बिहार चैम्बर द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं सिलेण्डर।

ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वंय सेवी संस्था प्रभु आहार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार एवं कोषाध्यक्ष श्री राकेश शर्मा तथा स्वंयसेवी संस्था सुगादेवी सीताराम प्रणामी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अमित राज अकेला की देखरेख में खाना के पैकेट सहित अन्य सामग्रियों का वितरण कराया गया।

चैम्बर ने पूर्व में भी बाढ़, सुखाड़, भुकंप आदि के समय राहत सामग्रियों का वितरण किया है।

भोजन पैकेट एवं सूखा राशन वितरण के अतिरिक्त चैम्बर द्वारा कोरोना से पीड़ित सदस्यों एवं उनके परिजनों के लिए चैम्बर द्वारा नि:शुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

कोरोना काल में किस्त देने में असमर्थ व्यापारियों को मिले राहत: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कहा कि कोरोना काल में कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। व्यवसाय पिछड़ गए हैं। और व्यवसायी ब्याज और किस्त चुकाने में फिलहाल असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार से राहत मिलनी चाहिए। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कोरोना की वजह से एक साल से व्यापारी परेशान हैं। वे घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। व्यापार बंद रहने के बावजूद कर्मियों का वेतन, दुकान का किराया, बिजली बिल आदि देना पड़ रहा है। कर्ज लेकर कारोबार करने वाले छोटे-मझोले व्यवसायी ब्याज और किस्त नहीं चुका पाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ से आग्रह किया गया है कि ऐसे व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से पहल की जानी चाहिए। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.6.2021)**

कोविड और ब्लैक फंगस मरीजों को राहत : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने जीएसटी काउंसिल की हुई 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट एवं कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी वस्तुओं के कर दरों में कमी के फैसले का स्वागत किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि काउंसिल ने ब्लैक फंगस के इलाज में काम आनेवाली दवाओं पर लगने वाले पाँच प्रतिशत जीएसटी को शून्य कर दिया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कोविड के इलाज में आने वाले प्रोडक्टस रेमेडिसिविर मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर, माक्स, कोविड टेस्टिंग किट्स, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, टेंपरेचर चेक इक्विपमेंट, एम्बुलेंस आदि के करों में कमी की है। श्री अग्रवाल ने कहा कि चूंकि जून का महीना चल रहा है और करों में छूट की समय सीमा 30 सितम्बर तक ही दी गयी है। अत: करों में छूट की समय सीमा को बढाया जाना चाहिए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.6.2021)**

आयकर विभाग के नये पोर्टल पर दिक्कत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) से मांग की है कि करदाताओं के व्यापक हित में आयकर विभाग के नये पोर्टल की तकनीकी खामियों का शीघ्र दुरुस्त कराया जाये।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग का यह नया इ-फाइलिंग पोर्टल खुलता ही नहीं है। जब-जब गूगल पर पोर्टल को सर्च किया जाता है तो लिखता है इस साइट तक नहीं पहुँचा जा सकता। यदि पोर्टल खुल भी जाता है तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इससे करदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। अग्रवाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न भागों के सदस्यों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि आयकर विभाग के नये पोर्टल की स्पीड कम है। नोटिस का जवाब देने में परेशानी आ रही है। विदेशों में धन भेजने के लिए आवश्यक प्रपत्र काम नहीं कर रहा है। आइटी रिटर्न और पावती की पीडीएफ डाउनलोड करने, चालान नंबर के सत्यापन, टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए टैन दर्ज करने, पिछली फाइलिंग से संबंधित आंकड़े शो नहीं करना जैसी कई समस्याएं आ रही हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 17.6.2021)**

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मोतिहारी जिला के सभी अनुमंडलों में व्यवसायियों का एक मजबूत संगठन के गठन सहित उन्हें दिशा-निर्देश एवं सहयोग हेतु संकल्प

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेषाधिकार समिति की बैठक में संकल्प लिया गया है कि मोतिहारी जिले के विभिन्न व्यावसायिक स्थलों पर व्यावसायिक संगठन के गठन का प्रयास किया जाय और पूर्व से जहाँ संगठन हैं उसे सक्रिय करने का प्रयास किया जाय।

इस हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी है जिसमें श्री वीरेन्द्र जालान, संस्थापक अध्यक्ष, डॉक्टर विवेक गौरव, पूर्व अध्यक्ष एवं श्री अंकुर कुमार पूर्व महासचिव सदस्य हैं।

इस विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया है कि जिले के तुरकौलिया, चकिया, पिपरा कोटवा, अरेराज, केसरिया, घोड़ासहन, पकड़ीदयाल, मधुबन, छौड़ादानों, मेहसी, चिरैया स्थानों में व्यवसायिक संगठन के गठन की पहल की जाये।

रक्सौल में पूर्व से स्थापित व्यावसायिक संगठनों से सम्पर्क करके व्यावसायिक एकता को सुदृढ़ किया जाये।

इसी उद्देश्य से दिनांक 12 जून, 2021 को सुगौली में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी की बैठक व्यावसायिक संघ, सुगौली के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मोतिहारी चैम्बर के पदाधिकारियों ने सुगौली व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार द्वारा व्यवसायियों के हित में किये गये कार्यों को सराहनीय बताया।

सुगौली में व्यवसायी संघ के अधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक करते मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण।

रामगढ़वा में व्यवसायियों के साथ बैठक करते मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण।

इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र जालान ने व्यवसायियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि **''सरकार व्यवसायियों के हित में सोचे और महत्व दें क्योंकि व्यवसायी वर्ग सरकार की आर्थिक रीढ़ होती है। इसकी अपेक्षाओं को भी जाने। सरकार किसी की भी हो, व्यवसायी वर्ग को अगर कम महत्व दिया जायेगा तो देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती है।''**

उन्होंने आगे कहा कि सुगौली के व्यवसायियों की जो समस्याएँ हैं उसके निराकरण हेतु अपने बैनर तले जिला के वरीय पदाधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें समस्याओं से अवगत करायेंगे।

रामगढ़वा में व्यवसायियों की बैठक 12 जून, 2021 को ही आयोजित हुई उसमें निर्णय लिया गया कि रामगढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 28 जून, 2021 के पहले कर ली जायेगी। इसमें मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर तरह की सहायता करेगा।

व्यावसायिक एकता हेतु व्यावसायिक संगठनों के गठन के प्रयास के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सराहना करता है।

उद्योग-धंधों को राहत पहुँचाने के लिए केन्द्र की घोषणा का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उद्योग-धंधों को वढ़ावा देने के लिए की गई घोषणा का स्वागत किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि कोविड प्रभावितों को 1. 1 लाख करोड़ रूपये की ऋण गारंटी योजना एवं आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत डेढ लाख करोड़ रूपये के अतिरिक्त घोषणा से छोटे-छोटे व्यवसायियों को कोरोना महामारी से उबरने में राहत मिलेगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के वुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ की घोषणा से स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए घोषित 60,000 करोड़ भी अन्य सेक्टर को उवारने में सहायक होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि का 31 मार्च 2022 तक विस्तार एवं 5 लाख लोगों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा से टूरिस्टों को आकर्पित करने में मदद मिलेगी तथा टूरिस्ट सेक्टर को राहत पहुँचाने में सहायक होगा साथ ही नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा प्रत्येक माह प्रोविडेन्ट फन्ड में जमा की जानेवाली राशि को 31 मार्च 2022 तक सरकार की ओर से भुगतान किए जाने से नियोक्ता एवं कर्मचारी को थोड़ी राहत मिलेगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 29.6.2021)

रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा ऑक्सजन बैंक की स्थापना

रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना। साथ में चैम्बर के पदाधिकारी एवं अन्य।

रक्सौल में टीकाकरण अभियान में रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की सहभागिता।

रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा जनहित योजनाओं के तहत अस्थाई ऑक्सीजन बैंक की स्थापना दिनांक 03 मई, 2021 से 16 जून, 2021 तक संचालित किया गया।

इसके अतिरिक्त टीकाकरण अभियान के तहत रक्सौल चैम्बर की सक्रिय सहभागिता से रक्सौल नगर परिषद् को बिहार का पहला शत-प्रतिशत टीकाकरण की मान्यता मिलने पर रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार गुप्ता सहित पूरे टीम को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई।

ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर मानवता के प्रति रक्सौल चैम्बर की सेवा सराहनीय है।

21 पिछड़े जिलों में उद्योगों को मिल रहा प्रोत्साहन 5 वर्ष बढ़ाया जाए: चैम्बर

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं चेयरमैन, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने मांग किया है कि आयकर के अन्तर्गत फिनान्स एक्ट 2015 के तहत बिहार के 21 पिछड़े जिलों के उद्योगों को मिल रहे प्रोत्साहन को पाँच साल के लिए और बढ़ाया जाए।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि आयकर के अन्तर्गत फिनान्स एक्ट 2015 के तहत बिहार के 21 जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, लखीसराय, सुपौल एवं मुजफ्फर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करते हुए प्रोत्साहन दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गयी है। उन्होनें कहा कि यदि नये उद्योग किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं एवं नई मशीन लगाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके तहत नये उद्योगों को नये मशीन की लागत पर एक साल के लिए 15% कटौती का प्रावधान है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के तहत मशीन की लागत पर 15% का अतिरिक्त विमूल्यन मिलेगा लेकिन यह अतिरिक्त विमूल्यन मशीन की लागत में घटा दिया जाएगा जिससे उसका लिखित मूल्य घट जाएगा और दूसरे साल में विमूल्यन घटे हुए रकम पर मिलेगा, केवल यह दो प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया था।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर से भी भारत सरकार से अनुरोध करें कि पूर्व से बिहार के उद्यमियों को मिल रही इस सुविधा का विस्तार किया जाए।

(साभार : प्रातः किरण, 25.6.2021)

देश में एक राष्ट्र एक विद्युत दर की नीति लागू हो : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर के सिंह से अनुरोध किया है कि देश में एक राष्ट्र एक विद्युत दर की नीति लागू की जाए। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों में समानता नहीं होने के कारण उद्यमियों द्वारा निर्मित एक ही प्रकार की वस्तुओं की लागत में असमानता आ जाती है। जिनके वस्तुओं की लागत कम होती है वह कम कीमत पर सामान बेच देते हैं और जिनकी लागत अधिक होती है उनका निर्मित सामान गोदाम में पड़ा रहता है, उनकी बड़ी पूंजी फंसी रहती है फलस्वरूप उद्यमियों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत में किसी भी राज्य से कोई भी सामान खरीदने की स्वतंत्रता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर सामान सस्ता मिलेगा वहाँ से ही खरीददारी होगी। बिजली की दरों में असमानता का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के औद्योगिकरण पर भी पड़ रहा है क्योंकि नये निवेशक जिस राज्य में बिजली की दरें कम होती है उस राज्य में ही उद्योग लगाना पसंद करते हैं।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की दरें एक समान नहीं होने से व्यवसायियों के साथ-साथ आम उपभोक्ता भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक ही देश में एक राज्य के आम उपभोक्ता को सस्ता बिजली उपलब्ध हो रहा है वहीं दूसरे राज्य में बिजली के लिए आम उपभोक्ताओं को ऊँची कीमत देना पड़ रही है जो व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। इन सबके आलोक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज अनुरोध करता है कि देश में बिजली की दरों में समानता लाने के लिए एक राष्ट्र एक विद्युत दर (वन नेशन, वन इलेक्ट्रिकसिटी टैरिफ) की नीति को लागू किया जाए। इससे न केवल देश के उद्यमी एवं व्यवसायी लाभान्वित होंगे बल्कि इससे सरकार के राजस्व में भी अवश्य बढ़ोत्तरी होगी।

(साभार : प्रातः किरण, 20.6.2021)

जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स,झाझा ने जरूरतमंदों के बीच भोजन पैकेट एवं मास्क वितरण किया

जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स (झाझा) द्वारा फूड पैकेट का वितरण। साथ में चैम्बर के पदाधिकारी एवं अन्य।

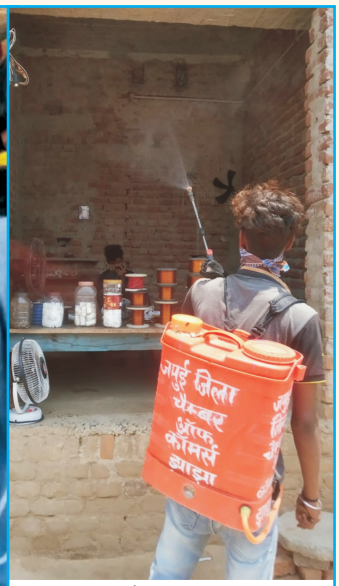

जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सेनेटाइजेशन कार्यक्रम

जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झाझा ने कोविड-19 संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन की अवधि में तैयार भोजन का पैकेट और मास्क जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया।

इसके अतिरिक्त इस चैम्बर ने अन्य व्यावसायिक संगठनों के सहयोग से झाझा में सेनेटाइजेशन भी करवाया।

कोरोना काल में जमुई जिला चैम्बर द्वारा पीड़ितों की सहायता एवं सेनेटाइजेशन का कार्य हेतु चैम्बर अध्यक्ष श्री राकेश कुमार सिंह एवं उनकी पूरी टीम की बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सराहना करता है।

बाजार में बढ़ रही है मांग : पी. के अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की दर में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को शिथिल करने का प्रतिकूल प्रभाव बाजार में दिख रहा है। हालांकि, अभी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां थीं, उसे अल्टरनेट डे पर खोलने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, यह संतोष की बात है कि अल्टरनेट डे पर खुलने के बावजूद सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ी है तथा लोगों को अपनी जरूरत की चीजें खरीदने में सुविधा हुई है। बाजार में मांग बढ़ने से उद्योग-धंधों की गतिविधियाँ जो धीमी गति से चल रही थीं, उसमें तेजी आयी है। साथ ही लॉकडाउन की अवधि में निर्मित सामान जो उद्यमियों के गोदाम में पड़े थे, बाजार में आने से उन वस्तुओं के निर्माण में जो पूंजी लगी थी, उसकी वापसी हो रही है। इससे आर्थिक सुदृढ़ता आ रही है। राज्य में बाजार की गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। साथ ही इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है। पहले की तरह राज्य में पूर्ण रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने की अनुमति मिल जायेगी। इससे राज्य के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 18.6.2021)**

कारोबारी अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे सभी पुराने रिटर्न

जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग में एमनेस्टी स्कीम 2021 की भी घोषणा की गयी है। इसमें वैसे सभी व्यापारी जो अब तक अपना रिटर्न जमा नहीं कर सके थे, उन्हें 31 अगस्त तक अपने सभी पुराने रिटर्न जमा करने का मौका दिया गया है। वैसे व्यापारी को अब लेट फीस के रूप में बहुत ही मामूली रकम चुकानी होगी। वैसे कारोबारी जिनका व्यापार बंद है और उन्हें निल रिटर्न फाइल करना है, उन्हें अब लेट फीस के रूप में प्रति रिटर्न अधिकतम 500 रुपये ही देने होंगे। अन्य कारोबारियों के लिए यह लेट फीस केवल एक हजार रुपये अधिकतम प्रति रिटर्न है। वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या तो यह स्कीम बहुत ही आकर्षक लगती है। इसके तहत जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के बकाया रिटर्न बहुत ही कम लेट फीस देकर जमा की जा सकती है, जबकि इसके लिए उन्हें लाखों रुपये चुकाने पड़ सकते थे। लेट फीस की गणना प्रतिदिन के अनुसार की जाती थी, लेकिन इसका सही लाभ केवल वैसे ही लोग ले पायेंगे। जिन कारोबारी अपने रिटने में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं लेना है, जबकि अन्य व्यवसायी अगर इनपुट टैक्स क्लेम करते हुए अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके अप्रैल 2020 से पहले के इनपुट टैक्स के दावे को जीएसटी कानून की धारा 16 (4) के तहत अस्वीकार किया जा सकता है। **(साभार : प्रभात खबर, 13.6.2021)**

जीएसटी काउंसिल बैठक

छोटे कारोबारियों के लिए खोला राहतों का पिटारा

रिटर्न भरने से चूके लोगों के लिए एमनेस्टी, छोटे कारोबारियों के लिए लेट फी में कमी

जीएसटी रिटर्न लेट फीस में ये बदलाव : छोटे करदाताओं पर भविष्य में लगने वाली लेट फीस की अधिकतम राशि को भी जीएसटी काउंसिल ने कम कर दिया है। नई लेट फीस टर्नओवर के हिसाब से होगी, जो निम्न है...

1. ऐसे जीएसटी करदाता जिनका कर दायित्व शून्य है, उनके लिए अधिकतम लेट फीस 500 रुपए प्रति रिटर्न होगी।
2. ऐसे करदाता जिनकी पिछले वर्ष में औसत बिक्री 1.5 करोड़ तक थी, उन पर लेट फीस अधिकतम 2000 रुपए प्रति रिटर्न होगी।
3. जिनकी पिछले वर्ष में बिक्री 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच में रही है, उन पर अधिकतम लेट फी 5000 रुपए प्रति रिटर्न होगी।
4. 5 करोड़ से ऊपर वाले पर सालाना कारोबार वाले जीएसटी करदाताओं

चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गोपालगंज द्वारा कोविड टीकाकरण कैम्प का आयोजन

चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज द्वारा कोविड टीकाकरण कैम्प का आयोजन। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं अन्य।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गोपालगंज द्वारा गोपालगंज में टीकाकरण अभियान में सहभागिता के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गोपालगंज के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पिंकी सहित पूरे टीम को धन्यवाद।

पर अधिकतम लेट फीस 10 हजार रुपए प्रति रिटर्न होगी।

5. कंपोजिशन करदाता पर यदि करदायित्व शून्य है तो लेट फीस अधिकतम 500 रु. और यदि कर दायित्व है तो 2000 रुपए प्रति रिटर्न होगी।

6. जीएसटी के टीडीएस रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस को 200 रु/ दिन से घटाकर 50 रु व अधिकतम 2000 रु/ रिटर्न कर दिया गया है।

जीएसटी भरपाई के लिए 1.58 लाख करोड़ कर्ज लेगी केन्द्र सरकार : वित्त मंत्री ने कहा, राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के लिए पिछले साल जैसा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके लिए केन्द्र को करीब 1.58 लाख करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे और इसे राज्यों को दिया जाएगा। कहा कि काउंसिल की एक विशेष बैठक जल्द होगी इसमें राज्यों को जीएसटी कलेक्शन में होने वाली कमी की पाँच साल तक क्षतिपूर्ति करने अवधि को 2022 से आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 29.6.2021)**

एक लाख रुपये से अधिक की कर देयता वाले करदाताओं को नहीं मिली छूट

रिटर्न की तारीख बढ़ी लेकिन कर जमा करने में राहत नहीं

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने, फॉर्म 16 जारी करने और अन्य सहित कई आयकर संबंधी समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने की समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है जिनकी कर देयता टीडीएस और अग्रिम कर की कटौती के बाद एक लाख रुपये से अधिक है।

ऐसे व्यक्तियों को 31 जुलाई तक एक लाख रुपये से अधिक के स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.5.2021)

जीएसटी काउंसिल ने बनाए दो मंत्रीसमूह

जीएसटी काउंसिल ने इस सप्ताह को अपनी 43वीं बैठक से पहले दो महत्वपूर्ण मंत्रिसमूहों का गठन किया है। इसमें एक समूह ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह मंत्रिसमूह पान मसाला, गुटखा, ईंट निर्माण जैसे सेक्टरों की कंपनियों पर उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। यह समूह मोटे तौर पर उन सेक्टरों के लिए जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के विकल्प पर विचार करेगा, जिनमें जीएसटी अदायगी को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी होने की शिकायतें आती हैं। इस समूह को छह माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

दूसरा समुह गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह समुह देश में ऑन लाइन गेमिंग व कैसिनो की सेवाओं का मूल्यांकन करने, उसी हिसाब से उन पर टैक्स दर निर्धारित करने और इसके लिए जरूरी कानूनी संशोधन के बारे में अपने सुझाव देगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 27.5.2021)

फास्टैग से जुड़ा इ-वे बिल, अब जीएसटी चोरी पर लगेगी लगाम

तीन साल में जारी हुए 180 करोड़ इ-वे बिल, केवल 7 करोड़ की हुई पुष्टि

• इ-वे बिल प्रणाली में रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होती है • गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में सृजित होते हैं सबसे अधिक ई-वे बिल।

वस्तु एवं सेवा कर (जोएसटी) अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही के वास्तविक समय की जानकारी हासिल होगी। वाणिज्यिक वाहनों द्वारा लिये जानेवाले इ-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और आरएफआइडी के साथ जोड़ दिया गया है। इससे वाणिज्यिक वाहनों पर सटीक नजर रखी जा सकेगी और जीएसटी चोरी का पता चल सकेगा। जीएसटी अधिकारियों की इ-वे बिल मोबाइल ऐप में यह नया फीचर जोड़ दिया गया है। इसके जरिये वे ई-वे बिल का वास्तविक व्योरा जान सकेंगे। इससे उन्हें टैक्स चोरी करनेवालों और ई-वे बिल प्रणाली का दुरुपयोग करनेवालों को पकड़ने में मदद मिलेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 20.5.2021)**

दुबई में भारतीयों समेत विदेशी खोल सकेंगे 100 फीसदी मालिकाना हक वाली कम्पनी

दुबई में विदेशी अपने 100 प्रतिशत मालिकाना हक वाली कंपनी खोल सकेंगे। यूएई में यह व्यवस्था आगामी एक जून से कॉमर्शियल कंपनी कानून के

नए प्रावधान प्रभावी होने के साथ अमल में आ जाएगी। कॉमर्शियल कंपनी लॉ, 2015 के दूसरे नियम के मुताबिक विदेशी शेयरधारक यूएई में बिजनेस के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एलएलसी) में अधिकतम 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। यानी यदि कोई विदेशी नागरिक या कंपनी यूएई में कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसे शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए स्थानीय स्पॉन्सर तलाशना होता है। स्थानीय स्पॉन्सर कोई अमीराती नागरिक या 100 प्रतिशत अमीराती स्वामित्व वाली कंपनी हो सकती है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए संशोधन के अमल में आने के बाद यूएई में सभी मौजूदा या पूर्व में लाइसेंस प्राप्त बिजनेस इसके मुताविक अपने स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकेंगे। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 20.5.2021)**

सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय,
लॉकडाउन में बंद प्रतिष्ठानों से निगम नहीं लेगा मासिक कचरा शुल्क

पंप व मॉल का कचरा संग्रह शुल्क बढ़ा, छोटे दुकानदारों को राहत

नगर निगम अब पेट्रोल पंप, मॉल, सिनेमा हॉल, सुपर मार्केट, वर्कशॉप और जिम से ज्यादा मासिक कचरा संग्रह शुल्क वसूलेगा। अब तक इनसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कार्यालय के रूप में कचरा शुल्क वसूला जाता था। अब इन्हें बड़े प्रतिष्ठानों के रूप में चिह्नित कर दिया गया है। नगर निगम को इनसे पर्याप्त कचरा शुल्क नहीं मिलने से राजस्व का नुकसान होता था। नगर निगम ने इन प्रतिष्ठानों के लिए कचरा संग्रह का मासिक शुल्क बढ़ा दिया है।

क्षेत्रफल के आधार पर कचरा शुल्क में संशोधन : मासिक कचरा शुल्क में विशेषकर छोटे दुकानदारों को राहत दी गई है। पहले दुकान, गोदाम, व्यावसायिक कार्यालय और अस्पताल छोटा हो या बड़ा सभी के लिए एक ही दर तय थी। अब क्षेत्रफल के आधार पर कचरा शुल्क में संशोधन कर दिया गया है। छोटी दुकान जो पहले 100 रुपये देते थे, अब उन्हें 75 रुपये मासिक देने होंगे। इसी प्रकार उन सभी छोटे आकार वाले प्रतिष्ठानों की दर में कटौती कर राहत दी गई है।

नया निर्धारित मासिक कचरा शुल्क

प्रतिष्ठान	कचरा शुल्क
मॉल (सिनेमा हॉल के साथ)	5000 रुपये
मॉल (बिना सिनेमा हॉल के)	3000 रुपये
पेट्रोल पप	1500 रुपये
सुपर मार्केट	2000 रुपये
शोरूम	1000 रुपये
वर्क शॉप	1000 रुपये
जिम	1000 रुपये

क्षेत्रफल के आधार पर संशोधित दर

प्रतिष्ठान (क्षेत्रफल)	मासिक कचरा शुल्क
दुकान	
200 वर्ग फुट तक	75 रुपये
200 वर्ग फुट से अधिक	100 रुपये
व्यवसायिक कार्यालय	
200 वर्ग फुट तक	300 रुपये
200 वर्ग फुट से अधिक	500 रुपये
गोदाम	
500 वर्ग फुट तक	750 रुपये
500 वर्ग फुट से अधिक	1000 रुपये
अस्पताल	
20 बेड तक	200 रुपये
20 बेड से अधिक	500 रुपये
स्लम बस्ती	
कच्चा मकान	00
पक्का मकान	20 रुपये

इनमें नहीं किया गया है संशोधन

प्रतिष्ठान	कचरा शुल्क
आवासीय भवन	30
रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल	500
स्टार होटल	5000
सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिग संस्थान	500
क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला	250
छोटे एवं मध्यम उद्योग	1000
मैरेज हॉल, एक्जीविशन हॉल, ट्रेड फेयर	2500

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.5.2021)

EXTENSION OF VALIDITY OF AEO CERTIFICATION FOR EASE OF RENEWAL PROCESS.

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
5th Floor, Central Revenue Building, Bir Chand Patel Path, Patna-800001
E-mail: cuspatna@nic.in / Ph.-0612-2504998 / Fax: 0612-2505506
File No. GEN/ TECH/PN/81/2021 – Technical section O/o Commissioner-Customs-Preventive-Patna

Trade Notice No. 02/2021
Dated :- 2.06.2021

Subject : Extension of validity of AEO certification for ease of renewal process-- reg.

Attention the Trade and Industry is invited to the Circular No. 11/2021- Customs dated 24.05.2021 vide which Para 5.1 of Circular No. 33/2016-Customs dated 22.07.2016 amended vide Pare viii of Circular No. 03/2018 - Customs dated 17.01.2018 which relates to *"Validity of AEO Certificate"* and read as-

"The validity of AEO certificate shall be three years for AEO- TI and AEO -T-2, and five years for AEO-T3 and AEO-LO."

2. Owing to various degrees of restrictions/lockdown in different parts of the country due to COVID pandemic, the Board has decided to extend the validity of all the AEO Certificates expired/expiring between 1.04.2021 & 31.05.2021, except for the cases where the entity has been found ineligible for continuation under the AEO Programme.

This issues with the approval of Commissioner, Custom (P) Patna.

(S. K. Biswas)
Assistant Commissioner (Technical)
Customs(P) Hqrs. Patna

आइटीआर फाइल नहीं किया तो दोगुना टीडीएस

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो एक जुलाई से आपको ज्यादा टीडीएस और टैक्स देना पड़ सकता है। फाइनेंस एक्ट, 2021 के मुताबिक अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले दो साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसे ज्यादा टीडीएस और टीसीएस देना होगा। अगर इन दो वर्षों में उनसे काटा गया टीडीएस या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो ऊँची दरों के हिसाब से टीडीएस देना होगा। यह नियम एक जुलाई 2021 से लागू हो जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 9.6.2021)**

बियाडा में जल्द तैयार होंगे फ्रिज व मोबाइल : शाहनवाज

उद्योग मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बियाडा के 80 एकड़ खाली जमीन पर उद्योग लगेगा, बियाडा के अतर्गत 121 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गयी है। चार प्रोडक्ट को फाइनेंशियल क्लीयरेंस मिल गयी है। भविष्य में फ्रिज व मोबाइल का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होगा। हल्दीराम के अतिरिक्त माइक्रोमैक्स व अन्य कंपनियों को जगह दी जा रही है। बिहार में बेगूसराय व मुजफ्फरपुर दो ही ऐसे जिले हैं, जहाँ एक हजार करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव आया है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.6.2021)

आवश्यक सूचना

माननीय उच्चतम न्यायालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाईयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित पानी के शुद्धिकरण के संबंध में आदेश पारित किया गया है। इसके तहत सभी औद्योगिक इकाईयाँ जो गंदे पानी का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि इकाई के अधीन गंदे पानी के बहिश्राव से पूर्व पानी का इकाई के अंतर्गत उपचार कर ही पानी का बहिश्राव किया जाय। इसके लिए वैसे सभी इकाईयों को Primary Effluent Treatment Plant का अधिष्ठापन एवं संचालन इकाई के अधीन करना अनिवार्य है।

माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इस सूचना के माध्यम से सभी इकाईयों (जो गंदे पानी का उत्सर्जन करते हैं) को सूचित किया जाता है कि एक माह के अन्दर अपने-अपने इकाई में Primary Effluent Treatment Plant का अधिष्ठापन एवं संचालन कर निम्नलिखित प्रतिवेदन बियाडा में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

1. Treatment Scheme of primary ETP
2. Photographs of primary ETP.
3. Test Report of treated water.

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना- 800004
Website : www.biada. in:Email : biada- bih@gov.in
Ph :- 0612-2675002/2675991/ Fax- 0612-2675889

कार्यकारी निदेशक

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.2021)

जीएसटी : रिफंड आवेदन वापस लेने का विकल्प दिया गया

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने जीएसटी रिफंड प्रावधान को तर्कसंगत बनाया है, जिसमें करदाताओं को अब रिफंड आवेदन वापस लेने का विकल्प भी दिया है। बोर्ड ने जीएसटी नियमों में संशोधन किया है। उसने रिफंड आवेदन दाखिल करने की तारीख से लेकर अधिकारी द्वारा उसमें खामी बताने वाला ज्ञापन जारी करने की तिथि की अवधि को रिफंड आवेदन करने की समग्र समय सीमा से अलग कर दिया है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 20.5.2021)

सुपौल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर में दी गई जमीन

जिंदल व छह निवेशकों को सूबे में मिली जमीन

बिहार में निवेश की बात आगे बढ़ रही है। निवेशकों ने सिर्फ उद्योग लगाने को प्रस्ताव ही नहीं दिए बल्कि बात उससे आगे बढ़ी है। कइयों ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर ली है। इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशकों को तो प्रोजेक्ट लगाने को बियाडा ने जमीन भी आवंटित कर दी है। इसमें जिंदल, माइक्रोमैक्स सहित कई बड़े निवेशक शामिल हैं। यह सारे निवेश इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापना से संबंधित हैं।

बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी) की बैठक में जमीन आवंटन के आठ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव सह बियाडा के प्रबंध निदेशक बृजेश मेहरोत्रा की अगुवाई में हुई बैठक में आठ में से छह जमीन संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। जबकि दो प्रस्तावों को इसलिए अगली बैठक में रखे जाने का फैसला हुआ क्योंकि वो आवंटित किए जा रहे भूखंड से सहमत नहीं थे।

जिन छह निवेशकों को जमीन आवंटित की गई है, उसमें जेएसडब्ल्यू (जिंदल ग्रुप) को 500 केएलपीडी (किलोलीटर प्रतिदिन) की इकाई स्थापित करने के लिए 50 एकड़ जमीन सुपौल इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित की गई है। बेगूसराय में ईडन स्मार्ट एग्रोटेक को 500 केएलपीडी की इकाई लिए 50 एकड़ जमीन दी गई है। बेगूसराय में ही न्यू-वे होम्स को 200 केएलपीडी की इकाई के लिए 30 एकड़ भूमि आवंटित हुई है।

6199 करोड के प्रस्तावों को मिली है स्टेज-1 क्लियरेंस : राज्य में इन दिनों निवेश का माहौल बन रहा है। खासतौर से इथेनॉल उत्पादन नीति आने के बाद इसमें और उछाल आया है। उद्योग विभाग को अभी तक इथेनॉल उत्पादन के 22 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे तीन हजार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से नई सरकार के गठन के बाद अभी तक 6199 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्टेज- 1 क्लियरेंस दी गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.6.2021)

पूर्वी चंपारण में लगेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट

इस प्लांट से आठ जिलों को होगा लाभ

उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में फूड प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट की स्थापना होगी। सरकार के सब्जी प्रसंस्करण व विपणन योजना के तहत इसे मूर्तरूप दिया जायेगा। इसकी जिम्मेदारी तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण व विपणन सहकारी संघ लिमिटेड को मिली है। तिरहुत वेजफेड ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मोतिहारी में प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना से तिरहुत के आठ जिले पूर्वी व पश्चिमी चपारण के अलावा शिवहर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज व सीवान आदि के सब्जी उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.6.2021)

बिना गारंटी लोन का दायरा बढ़ा

अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए ले सकेंगे दो करोड़ तक का लोन

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी दो करोड़ तक का लोन मात्र 7.5 फीसद ब्याज पर ले सकेंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत ईसीएलजीएस के तहत अब तक मिले लोन चुकाने के लिए उद्यमियों को दिया गया समय भी चार से पाँच साल कर दिया गया है। पहले 24 माह तक उद्यमी सिर्फ ब्याज का भुगतान कर सकेंगे और उसके बाद के 36 माह में उन्हें मूलधन देना होगा।

कोरोना इलाज को पाँच लाख तक कर्ज देंगे सरकारी बैंक : कोरोना के इलाज में मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25,000 से पाँच लाख रुपये तक का लोन देगे। एसबीआइ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) की संयुक्त बैठक में यह एलान किया गया। सभी वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी व पेशनधारी इसके पात्र होंगे। सरकार के फैसले के अनुरूप ईसीएलजीएस के बढ़े दायरे के तहत लोन देने की भी घोषणा की गई।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 31.5.2021)

केनरा बैंक देगा 50 करोड़ रुपये तक का सस्ता कर्ज

सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता केनरा बैंक ने मुख्य रूप से कोरोना पीड़ितों और उनके इलाज में लगे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम को 50 करोड़ रूपये तक के सस्ते कर्ज की घोषणा की है। बैंक ने तीन नए लोन प्रोडक्ट लांच किए हैं। इनमें से एक कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए, दूसरा महामारी की धार कुंद करने में लगे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य सेवा दे रहे संस्थानों के लिए और तीसरा कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 29.5.2021)**

दिवालिया कानून से नहीं बच सकेंगे कारपोरेट लोन के पर्सनल गारंटर

शीर्ष अदालत ने गारंटी के मामले में केन्द्र सरकार की व्यवस्था पर लगाई मुहर

सुप्रीम फैसला : • लोन की पर्सनल गारंटी देने वालो पर भी कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी • बैंक अब पर्सनल गारंटर की परिसंपत्तियाँ बेचकर कर सकेगे कर्ज की वसूली

दिवालिया कानून की प्रक्रिया से बचने की जुगत कर रहे कुछ कारपोरेट घरानों के नामी-गिरामी प्रवर्तकों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) से जुड़े एक मामले में शीर्ष कोर्ट ने को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिवालिया प्रक्रिया में शामिल कंपनियों को कर्ज दिलाने में पर्सनल गारंटी देने वाले प्रवर्तकों से भी वसूली की छूट बैंकों को

दे दी। बैंक अब कारपोरेट गारंटी देने वालों की परिसंपत्तियों को बेचकर वसूली कर सकेंगे। इस बारे में केन्द्र सरकार ने नवम्बर 2019 में अधिसूचना जारी की थी, जिसके खिलाफ अनिल अंबानी, कपिल वधावन, संजय सिंघल, वेणुगोपाल धूत समेत 75 लोगों ने याचिका दी थी।

दिवालिया कानून के विशेषज्ञ अजीत कुमार झा ने कहा, 'दिवालिया कानून के तहत कर्ज वसूली की प्रक्रिया अब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इससे सभी को फायदा होगा। कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों के साथ ही दिवालिया होने वाली कंपनी में निवेश करने वालों को भी फायदा होगा। मोटे तौर पर जो भी गारंटी देने वाला है, अब उसकी परिसंपत्ति से भी कर्ज की वसूली हो सकेगी।'

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 22.5.2021)

पवन चक्की, पनबिजली और सौर उर्जा से बिजली पैदा करेगा बिहार

नयी बिजली नीति लागू करने की हो रही तैयारी

केन्द्र सरकार नयी बिजली नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। उससे पहले ही नयी बिजली नीति के मूल प्रावधानों के अनुसार अपने को तैयार करने में भी बिहार जुट गया है। इसके तहत थर्मल पावर प्लांट की जगह सौर ऊर्जा और पनबिजली को विकसित किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर निर्भरता कम हो जायेगी। उपभोक्ता अपने घरों में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और उसे बिजली कंपनी को बेच भी सकेंगे। साथ ही प्रदूषण की समस्या में भी कमी आयेगी। सूत्रों का कहना है कि नयी बिजली नीति पर केन्द्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दिनों सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया था। इस बैठक में बिहार के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में थर्मल पावर पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने की चर्चा हुई थी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 27.5.2021)

औद्योगिक इकाइयों की होगी जियो टैगिंग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के तहत प्रदेश में लगी सभी औद्योगिक यूनिटों की जियो टैगिंग की जायेगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है। जियो टैगिंग की कवायद के साथ स्थापित की गयी सभी यूनिटों का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उद्योग निदेशक ने उद्योग महा-प्रबंधकों से कहा है कि 2016-17 से लेकर 2018-19 की अवधि में लगी सभी इकाइयों की जियो टैगिंग करते हुए उनका सत्यापन किया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 25.5.2021)

सूबे में उद्योगों के लिए अलग बिजली फीडर

शहरी और अर्धशहरी इलाकों के बाहरी क्षेत्रों में लगेंगे अलग फीडर

राज्य के प्रमुख शहरों के बाहरी इलाके में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उन्हें अलग से बिजली दी जाएगी। बिजली कंपनी इसके लिए 11 केवी का फीडर बनाएगी। कंपनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों सरकार के शीर्ष स्तर पर इस परियोजना का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में ही इस योजना पर काम शुरू करने का लक्ष्य है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.5.2021)

बिहार में सरकारी सहायता से हर वर्ष 40 कृषि उद्योग लगेंगे

नई योजना : • ट्रेनिंग के बाद हर साल 40 युवकों का चयन होगा सहायता के लिए • रोजगार वृद्धि के लिए 40 संस्थानों में बिहार कृषि विवि भी चयनित • 10 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान युवकों को • 5 लाख रुपये तक की राशि सहायता के रूप में मिलेगी।

कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवकों के लिए अच्छा अवसर है। अगर उनके पास नया आइडिया है तो सरकार उन्हें कृषि उद्योग लगाने के लिए पैसा देगी। पहले से अगर कोई कृषि उद्योग चला रहे हैं तो वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उद्योग पारंपरिक नहीं बल्कि नवाचर आधारित हो। योजना से बिहार में हर साल 40 नए कृषि उद्योग लगेंगे। योजना के अनुसार इच्छुक आवेदकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें उद्योग लगाने का पैसा मिलेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.5.2021)

बिहार को इस साल खपत करनी होगी 17 प्रतिशत रिन्यूबल इनर्जी

बिहार को इस साल अपनी खपत का कम से कम 17 फीसदी बिजली रिन्यूबल इनर्जी से लेनी होगी। इसमें भी 8 फीसदी बिजली केवल सौर ऊर्जा की होगी। केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए रिन्यूबल इनर्जी का टारगेट तय कर दिया है। यह लक्ष्य पिछले साल की अपेक्षा 2.75 फीसदी अधिक है। गत वर्ष बिहार को अपनी खपत का कम से कम 14.25 फीसदी बिजली ही रिन्यूबल इनर्जी से लेनी थी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को वर्ष 2021-22 के लिए नया टारगेट भेजा है। देश में रिन्यूबल इनर्जी को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य को इसकी अनिवार्य खपत का टारगेट देती है। रिन्यूबल पावर पर्चेज ऑब्लिगेशन के तहत इसका इस सीमा में उपयोग अनिवार्य होता है। कोयले की सीमित मात्रा के कारण देश थर्मल पावर के विकल्प के रूप में अपारंपरिक ऊर्जा के विकास पर अधिक जोर दे रहा है। बीते दिनों में देश में रिन्यूबल इनर्जी सेक्टर पर काफी काम किया गया है। इसका उत्पादन तो बढ़ा ही है, इसकी प्रचूर संभावनाओं का भी पता चला है। लिहाजा, इस सेक्टर पर तेजी से काम शुरू किया गया है।

रिन्यूबल इनर्जी का टारगेट

वर्ष	कुल टारगेट	सौर उर्जा
2016-17	6.5%	1.5%
2017-18	7.75%	2.25%
2018-19	9.25%	3.25%
2019-20	11.50%	4.75%
2020-21	14.25%	6.75%
2021-22	17%	8%

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.5.2021)

पहली जून से गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य, मगर बिहार के 38 में 12 जिलों में ही इसके लिए सेंटर

गोल्ड ज्वेलरी पर 1 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। यह बिहार के करीब 25 हजार ज्वेलर्स के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है। राज्य के 38 में से 12 जिलों में ही हॉल मार्किंग सेंटर हैं। 26 जिलों के ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग के लिए उन्हीं के पास जाना होगा। 5 मई से संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से ज्वेलर्स हॉल मार्किंग की कोई तैयारी नहीं कर सके हैं। लॉकडाउन की अवधि में उनके लिए कहीं आना-जाना भी कठिन होगा। ग्राहक भी बिना हॉलमार्क वाले आभूषण को नहीं ले पाएंगे।

अभी इन जिलों में है हॉल मार्किंग सेंटर : पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, सासाराम, बक्सर, छपरा, गया, भोजपुर, नालंदा, नवादा।

तारीख बढ़ाने की माँग : पाटलीपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि अभी तक सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर स्थापित नहीं किये जा सके हैं। वहीं राज्य के 3.16 फीसदी ज्वेलर्स की बीआईएस में अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन करा सके हैं। ऐसे में 1 जून के बाद उनके लिए कारोबार मुश्किल हो जायेगा। ज्वेलर्स ने सरकार से हॉल मार्किंग अनिवार्य करने के समय को 1 जून से आगे बढ़ाने की माँग की है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.5.2021)**

कृषि उत्पादों के निर्यात हब के रूप में विकसित होगा बिहार

राज्य में कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और निर्यात में केन्द्र की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) मदद करेगा।

एपीडा के सहयोग से प्रसंस्करण और निर्यात में कैसे काम होगा इसके लिए कृषि विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है। पूरी योजना में एपीडा मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएगा। साथ ही बिहार को एग्रो निर्यात की जमीन के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए वह कृषि विभाग के साथ मिलकर उत्पादन से लेकर निर्यात तक प्रत्येक चरण में आने वाली कठिनाइयों की पहचान भी करेगा। समस्याओं की पहचान करने के बाद उन्हें दूर करने पर दोनों संस्थाएँ मिलकर विचार करेंगी। पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह और विभाग के सचिव डॉ. एन सरवण कुमार एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगामुत्थू के साथ एक दौर की बात कर चुके हैं। प्रारंभिक दौर में बन रही इस योजना के अनुसार बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एपीडा को लीची, सब्जियाँ और शहद उत्पादों के निर्यात, संवर्धन एवं विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस योजना को विशेष कृषि निर्यात क्षेत्र (एइजेड) नाम दिया गया है। इसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण और गोपालगंज जिला हैं। परियोजना के तहत सरकार एपीडा की मदद से यहाँ उन प्रोजेक्ट को विकसित करेगी जो व्यवहारिक हैं और तुरंत लागू किये जा सकते हैं।

एपीडा के अध्यक्ष डॉ एम अंगामुत्थू ने बिहार सरकार से कहा कि आने वाले दिनों में कोविड महामारी खत्म होने के बाद एपीडा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यापार संघों के साथ बिहार में मूल्य संवर्द्धन तथा प्रसंस्करण पर पटना में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.5.2021)**

निर्यात को मिलने लगा बिहार से 'फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट'

निर्यात को तैयार मुजफ्फरपुर की शाही लीची को पहली बार राज्य से फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट मिल गया। इसी के साथ राज्य में यह सुविधा शुरू हो गई। लीची दुबई भेजी जा रही है। वहाँ अब वह **'बिहार की लीची'** के नाम से जानी जाएगी। दूसरे कृषि उत्पादों का निर्यात भी आसान हो गया। निर्यातकों को फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लिहाजा अब यहाँ से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। इसी के साथ शाही लीची का एक लॉट लंदन भी गया। यह लॉट एपीडा के सहयोग से लंदन गया। कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस पर प्रसन्नाता जताई है। साथ ही उम्मीद है कि अब बिहार से निर्यात बढ़ेगा। यह सुविधा बिहार में शुरू होने से राज्य से निर्यात होने वाला हर उत्पाद विदेशों में भी बिहार के नाम से ही जाना जा सकेगा। लिहाजा, वहाँ से ऑडर भी बिहारी निर्यातकों को मिलेंगे।

पहली बार : • पहली बार 'बिहारी उत्पाद' के नाम से शाही लीची जाएगी विदेश • दुबई भेजने के लिए शाही लीची को जारी हुआ पहला सर्टिफिकेट • कृषि सचिव के प्रयास से केन्द्र ने बिहार को दिया अधिकार • 35 कृषि उत्पादों की मांग है दूसरे देशों में • 1891 करोड़ रुपये का गत वर्ष हुआ निर्यात • 608 करोड़ का सबसे अधिक चावल का निर्यात

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.5.2021)

सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुँचाने वाले को मिलेगा पाँच हजार

सड़क दुर्घटना के घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाएँ और 5 हजार का इनाम पाएं। परिवहन विभाग ने घायलों को अस्पताल पहुँचाने वाले अच्छे लोगों (गुड सेमेरिटन) को नकदी देने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से तैयार यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा।

प्रोत्साहन : • सड़क दुर्घटना से मौत कम करने की शुरू की गई कवायद • गोल्डन आवर में उपचार न होने से अधिक मौतें होती हैं

अस्पताल को भी दिए गए हैं कई निर्देश : किसी परिस्थिति में जख्मी को निकटवर्ती सरकारी/ निजी अस्पताल में लेकर आने वाले गुड सेमेरिटन से किसी तरह के रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य संबंधित पैसे की मांग नहीं की जाएगी। मांग तभी की जा सकती है जब जख्मी को लाने वाला व्यक्ति उसका संबंधी हो। जख्मी का इलाज करना अस्पताल की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि इलाज में विलंब से जान जा सकती है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.5.2021)**

भारतीय रेल ने मई में माल ढुलाई से कमाये 9278.95 करोड़ रुपये

कोरोना महामारी के दौरान भारतीय रेल माल परिवहन का सर्वाधिक पसंदीदा परिवहन बनकर सामने आया है। यही कारण है कि लॉकडाउन के समय में भी रेलवे माल ढुलाई में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसका एक कारण जहाँ रेल मंत्रालय की ओर से माल ढुलाई को आकर्षक बनाना है, वहीं कई तरह की रियायतें भी दी गयी हैं। रेलवे की ओर से जोनल और मंडल स्तरों पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स और माल ढुलाई की गति को और अधिक तेज करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं नये व्यवसाय को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लौह और इस्पात, सीमेंट, बिजली, कोयला, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवा प्रदाताओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ समय-समय पर बैठक कर सुझाव और सलाह भी ले रहा है।

कुल ढुलाई : मई 2021 के दौरान रेलवे द्वारा दुलाई की गयी महत्वपूर्ण वस्तुओं में 97.06 मिलियन टन कोयला, 27.14 मिलियन टन लौह अयस्क, 7.89 मिलियन टन खाद्यान्न, 5.34 मिलियन टन उर्वरक, 6.09 मिलियन टन खनिज तेल, 11.11 मिलियन टन सीमेंट शामिल हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 27.5.2021)

दीघा-पहलेजा-सोनपुर रेललाइन की डबलिंग का काम तेज

पाटलिपुत्र से पहलेजा तक ट्विन सिंगल लाइन तकनीक पर बन रही डबल लाइन, दोनों से एक साथ चलेंगी ट्रेनें

कोरोना ने रेलवे की कई परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दी है। जिन परियोजनाओं का काम चल रहा है, उनकी रफ्तार धीमी है। लेकिन पूर्व मध्य रेल की प्राथमिकता वाली परियोजना दीघा-पहलेजा-सोनपुर रेललाइन की डबलिंग का काम तेज है। हालांकि, जून तक ट्रेन परिचालन शुरू होने पर संशय है। क्योंकि, इंडस्ट्रीयल यूज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहने के कारण ट्रैक लिंकिंग का काम रुका हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन दिसम्बर 2020 तक थी, लेकिन काम की धीमी रफ्तार की वजह से इसे बढ़ाकर जून 2021 तक कर दिया गया। लेकिन, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इस साल के अंत तक ट्रेन परिचालन संभव है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार के अनुसार पाटलिपुत्र से पहलेजा तक डबल लाइन ट्विन सिंगल लाइन ऑपेरशन तकनीक पर बन रहा है। दोनों लाइन से दोनों दिशाओं से ट्रेन आ-जा सकेगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 28.5.2021)

जिस जिले में रेलवे का रैक प्वाइंट उसी से जिले को उर्वरक की डिलिवरी देने के निर्देश

राज्य के सभी जिलों को उर्वरक की डिलिवरी नजदीकी रेलवे यार्ड (रैक प्वाइंट) से देने के लिए कृषि विभाग रेलवे से अनुरोध करेगा। माना जा रहा है कि रेलवे ने अनुरोध स्वीकार कर लिया तो उर्वरक के ओवररेट की समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जायेगी। कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में सचिव और निदेशक को रेलवे से वार्ता करने के निर्देश दिये हैं। राज्य में उर्वरक की ढुलाई रेलवे के रैक (मालगाड़ी) से होती है। इसके लिए राज्यभर में रेलवे स्टेशनों पर यार्ड में रैक प्वाइंट बनाये गये हैं। एक रैक प्वाइंट से कई जिला जुड़े हुए हैं। उर्वरक इन रैक प्वाइट पर उतरता है। इसके बाद सड़क मार्ग से संबंधित जिलों में पहुँचाया जाता है। आरा सहित कई जिला ऐसे हैं जहाँ रैक प्वाइंट है, इसके बाद भी दूसरे जिला के रैक प्वाइंट पर भी उर्वरक उतरता है। इससे ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है और दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने को विवश होते हैं। कुछ दुकानदार इसका फायदा भी उठा लेते हैं। वीडियो कॉन्फेंसिंग में कृषि मंत्री ने इस समस्या के निस्तारण के आदेश दिये।

(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2021)

नालंदा-गया का पहला सीएनजी स्टेशन बिहारशरीफ में

नालंदा में अब वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होगा। कारण, यहाँ की अधिकतर गाड़ियां सीएनजी से चलने लगेंगी। नालंदा व गया जिले में सीएनजी

का पहला फ्यूल पम्प बिहारशरीफ में तैयार हो गया है। उद्घाटन के बाद से यहाँ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी मिलनी शुरू ही जाएगी। यह स्टेशन बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इन दोनों जिलों में सीएनजी व पीएनजी की आपूर्ति का जिम्मा इंडियन ऑयल, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.6.2021)**

कूड़ा जलाते पकड़ाए तो 5000 से लेकर रु 25000 तक जुर्माना

राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कूड़ा-कचरा जलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना होगा। कूड़ा जलाने वाले लोगों पर 5000 से लेकर 25 हजार रुपया तक जुर्माना किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थान से निकलने वाले कूड़ा-कचरा एक जगह जमा कर जलाने पर 25000 रुपया जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा जलाते पकड़ा जाता है तो 5000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने की यह राशि जिला प्रशासन वसूलेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यदि सूचना मिलती है तो वह भी जुर्माना कर सकता है।

पॉलीथिन के जलने पर निकलती है जहरीली गैस : नगर निगम ने खुले में कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगा रखा है। कचरा के साथ पॉलीथिन भी जलाई जाती है। पॉलीथिन के जलने से जो धुआं निकलता है, उसमें जहरीली गैस भी होती है। यह पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा-कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक है। हर जगह डस्टबिन रखा गया है। घर से निकलने वाले कूड़े को इसमें डाल दें। इससे आसपास साफ-सफाई रहेगी और हवा भी दूषित नहीं होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 9.6.2021)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या पर्या / वन (मु०)-09 / 2019-406(ई०) / प०व० दिनांक 16 जून 2021 की प्रति उद्धृत है जिसके अंतर्गत गजट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के बाद एकल उपयोग वाले त्याज्य (Disposable) प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कांटा, चम्मच इत्यादि प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप जिसका उपयोग भोजन पदार्थ या जल परोसने में किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट आदि के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1943 (श.)
(सं. पटना 525) पटना, शुक्रवार, 18 जून 2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

16 जून 2021

सं. पर्या./ वन (मु.) - 09/2019-406 (ई.)/प. व. और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग तथा एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमे थर्मोकोल भी सम्मिलित है, पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान एवं स्वास्थ्य परिसंकट के कारण है;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग सहित एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कॉटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि जैव-विघटेय नहीं हैं और जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थो के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते है;

और चूँकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत् प्लास्टिक कैरी बैग (अप्रयुक्त या पुन: चक्रित) एवं प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर जो वस्तु का अभिन्न भाग नहीं है, 50 माईक्रान्स से कम मोटाई की प्रतिबंधित है;

और चूँकि बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से क्रमश: सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत की परिसीमा में प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसलिये अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या ए. ओ. (ई) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, काँटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ/जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच एवं बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निदेश जारी करती है;

निदेश - कोई भी व्यक्ति बिहार राज्य की परिसीमा के अन्दर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कॉटा चम्मच, कटोरी इत्यादि प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेंगे।

प्राधिकृत पदाधिकारी - निम्नलिखित अधिकारियों को एतद द्वारा उनकी अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

(क) प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार सरकार,
(ख) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,
(ग) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार,
(घ) अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
(ङ) जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में,
(च) अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में,
(छ) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में,
(ज) प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/पंचायत सचिव,
(झ) क्षेत्रीय पदाधिकारी / सहायक पर्यावरण अभियंता / वैज्ञानिक / सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
(ञ) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ कार्यकारी निर्देशक, बियाडा अपने आधिकार क्षेत्र में,
(ट) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 एवं 422

के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाई गयी उप–विधियों (Bye-laws) में प्राधिकृत सिटी स्क्वैड/टास्क फोर्स से संबंधित पदाधिकारी।

अनुश्रवण – अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान – इन निदेशों का उल्लंघन पर्यावण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध उस सजा से, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा उस जुर्माना से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय है।

किसी भी निदेश के उल्लंघन की दशा में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाई गयी उप–विधियों (Bye-laws) के अनुरूप जुर्माना की भी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रवर्त्तन – यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् प्रवृत होगी। इसी 180 दिनों की अवधि के भीतर सभी व्यक्ति, जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, दुकानदार/व्यापारी, फेरीवाला आदि शामिल हैं, के द्वारा एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कॉटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोजन पदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रलय, भारत सरकार ने कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माप-तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकन के पुनः सत्यापन की वैधता को 30 सितम्बर 2021 तक विस्तार किया है।

उक्त संबंध में मंत्रलय द्वारा सभी राज्यों के विधिक माप नियंत्रक को भेजे पत्र दिनांक 28.06.2021 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है।

I-9/26/2020-W&M Section
Government of India Ministry of
Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Consumer Affairs Weights and Measures Unit
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Dated: 28.6.2021

To,
The Controller of Legal Metrology,
All States / UTs

Subject: Extension of a period of three months for verification and stamping of weights and measures due to the prevalent situation of COVID-19 -reg.

Sir/ Madam,

The undersigned is directed to refer to the above subject matter.Due to the prevalent condition of COVID-19, leading to the lockdown of the whole country and to prevent gathering of persons for verification & stamping purpose, extension of a period of three months (to subsequent quarter) for verification & stamping of weights and measures, where due, may be given.

2. Any additional fees payable by the users of weights and measures for re-verification, due to expiry of validity of stamp on postponement of re-verification, may be relaxed till 30.09.2021.

3. The field Officers may be advised accordingly.

Yours faithfully,
(B N Dixit)
Director of Legal Metrology
Ph: 011-23389489
Email: dirwm-ca@nic.in

Copy to :
Industries/Industry Associatons
for kind information.

Ministry of Finance

Government grants further extension in time lines of compliances

Also announces tax exemption for expenditure on COVID-19 treatment and ex-gratia received on death due to COVID-19

Posted On: 25 JUNE 2021 6:24PM by PIB Delhi

A. Tax exemption

Many taxpayers have received financial help from their employers and well-wishers for meeting their expenses incurred for treatment of COVID-19. In order to ensure that no income tax liability arises on this account, it has been decided to provide income-tax exemption to the amount received by a taxpayer for medical treatment from employer or from any person for treatment of COVID-19 during FY 2019-20 and subsequent years.

Unfortunately, certain taxpayers have lost their life due to COVID-19. Employers and well-wishers of such taxpayers had extended financial assistance to their family members so that they could cope with the difficulties arisen due to the sudden loss of the earning member of their family. In order to provide relief to the family members of such taxpayer, it has been decided to provide income-tax exemption to ex-gratia payment received by family members of a person from the employer of such person or from other person on the death of the person on account of COVID-19 during FY 2019-20 and subsequent years. The exemption shall be allowed without any limit for the amount received from the employer and the exemption shall be limited to Rs. 10 lakh in aggregate for the amount received from any other persons.

Necessary legislative amendments for the above decisions shall be proposed in due course of time.

B. Extension of Time lines

In view of the impact of the Covid-19 pandemic, taxpayers are facing inconvenience in meeting certain tax compliances and also in filing response to various notices. In order to ease the compliance burden of taxpayers during this difficult time, reliefs are being provided through Notifications nos. 74/2021 & 75/2021 dated 25th June, 2021 Circular no. 12/2021 dated 25th June, 2021. These reliefs are:

1. **Objections to Dispute Resolution Panel (DRP) and Assessing Officer under section 144C of the Income-tax Act, 1961** (hereinafter referred to as "the Act") for which the last date of filing under that section is 1st June, 2021 or thereafter, may be filed within the time provided in that section or by **31st August, 2021,** whichever is later.
2. **The Statement of Deduction of Tax** for the last quarter of the Financial Year 2020-21, required to be furnished on or before 31st May, 2021 under Rule 31A of the Income-tax Rules,1962 (hereinafter referred to as "the Rules"), as extended to 30th June, 2021 vide Circular No.9 of 2021, may be furnished **on or before 15th July, 2021.**
3. **The Certificate of Tax Deducted at Source in Form No.16,** required to be furnished to the employee by 15th June, 2021 under Rule 31 of the Rules, as extended to 15th July, 2021 vide Circular No.9 of 2021, may be furnished **on or before 31st July, 2021.**
4. **The Statement of Income paid or credited** by an investment fund to its unit holder in **Form No. 64D for** the Previous Year 2020-21, required to be furnished on or before 15th June, 2021 under Rule 12CB of the Rules, as extended to 30th June, 2021 vide Circular No.9 of 2021, may be furnished **on or before 15th July, 2021.**
5. **The Statement of Income paid or credited** by an investment fund to its unit holder in **Form No. 64C** for the Previous Year 2020-21, required to be furnished on or before 30th June, 2021 under Rule 12CB of the Rules, as extended to 15th July, 2021 vide Circular No.9 of 2021, may be furnished **on or before 31st July, 2021.**
6. The application **under Section 10(23C), 12AB, 35 (1) (ii) / (iia) / (iii) and 80G** of the Act in **Form No. 10A/ Form No.10AB,** for registration/ provisional registration/ intimation/ approval/ provisional approval **of Trusts/ Institutions/ Research Associations etc.,** required to be made on or before 30th June, 2021, may be made on or before **31st August, 2021.**
7. The **compliances** to be made by the taxpayers such as investment, deposit, payment, acquisition, purchase, construction or such other action, by whatever name called, for the purpose of **claiming any exemption under**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

चैम्बर प्रांगण में कोरोना टीकाकरण कैम्प का आयोजन

चैम्बर में आयोजित टीकाकरण कैम्प में टीका लगवाते लोग एवं साथ में सहयोग करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय।

चैम्बर द्वारा आयोजित टीकाकरण कैम्प में टीका लगवाते लोग।

चैम्बर के टीकाकरण कैम्प में टीका लगवाते एवं प्रतीक्षारत लोग। कैम्प की मोनिटरिंग करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार में COVID-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण महा अभियान के तहत चैम्बर प्रांगण में भी दिनांक 21 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस शिविर में चैम्बर के सदस्यों, उनके परिजनों, चैम्बर के कर्मचारियों तथा चैम्बर के आस-पास के आम लोगों का टीकाकरण किया गया। शिविर में COVAXIN का टीका लगाया गया।

सभी लोग सहजता से अपना आधार कार्ड या और कोई दूसरा पहचान पत्र के द्वारा टीका लगवा सके इसके लिए चैम्बर में ऑफ लाईन पंजीयन की व्यवस्था की गयी थी।

टीकाकरण कैम्प की मोनिटरिंग चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

the provisions contained in Section 54 to 54GB of the Act, for which the last date of such compliance falls between 1st April, 2021 to 29th September, 2021 (both days inclusive), may be completed on or before **30th Sep., 2021.**

8. The **Quarterly Statement in Form No. 15CC** to be furnished by authorized dealer in respect of remittances made for the quarter ending on 30th June, 2021, required to be furnished on or before 15th July, 2021 under Rule 37 BB of the Rules, may be furnished on or before **31st July, 2021.**
9. **The Equalization Levy Statement in Form No. 1** for the **Financial Year 2020-21,** which is required to be filed on or before 30th June, 2021, may be furnished on or before **31st July, 2021.**
10. The **Annual Statement** required to be furnished under **sub-section (5) of section 9A of the Act by the eligible investment fund in Form No. 3CEK** for the Financial Year 2020-21, which is required to be filed on or before 29th June, 2021, may be furnished on or before **31st July, 2021.**
11. **Uploading of the declarations** received from recipients in **Form No. 15G/15H during the quarter ending 30th June, 2021,** which is required to be uploaded on or before 15th July, 2021, may be uploaded by **31st August,2021.**
12. **Exercising of option** to withdraw pending application (filed before the erstwhile Income Tax Settlement Commission) under **sub-section (1) of Section 245M** of the Act in **Form No. 34BB,** which is required to be exercised on or before 27th June, 2021, may be exercised on or before **31st July, 2021.**
13. **Last date of linkage of Aadhaar with PAN under section 139AA of the Act,** which was earlier extended to 30th June, 2021 is further extended to **30th September, 2021.**
14. **Last date of payment of amount under Vivad se Vishwas (without additional amount)** which was earlier extended to 30th June, 2021 is further extended to **31st Aug., 2021.**
15. **Last date of payment of amount under Vivad se Vishwas (with additional amount)** has been notified as 31st October, 2021.
16. **Time Limit for passing assessment order** which was earlier extended to 30th June, 2021 is further extended to 30th September, 2021.
17. **Time Limit for passing penalty** order which was earlier extended to 30th June, 2021 is further extended to 30th September, 2021.
18. **Time Limit for processing Equalisation Levy returns** which was earlier extended to 30th June, 2021 is further extended to 30th September, 2021.

Released I.D. : 1730346

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296